

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फ

फर्द अहकाम

सुंनं ११/१५ तारीख रज ७.९.१५

उगवान - सुमैर बनाम सुवालाल मीना को० पठाड़ी

दावा बाबत तफास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
-प्यारा ५३, १८८ अन्तर्गत

पाटी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. ने दावा बाबत तफास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व अभावकी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीजणे को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक १५-९-१५ को पेश हो।

2361-73  
7.9.15

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

१५/१५ पाटी वकील उप। प्रतिवादी नं० १ ने तामिल लेने से इन्कार किया। २, ३ की तामिल खिता के द्वारा की गयी। ५, ६ की तामिल बाबा के द्वारा की गयी। ७, ८, ९ की तामिल एंय के द्वारा की गयी है। १०, ११ की भाई के द्वारा की गयी है। १२ की तामिल हो चुकी है। १३ वगैरह सूचना उप नहीं। इसलिए प्रतिवादी नं० १, २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ के विरुद्ध एक पक्षीय कायनाही आगल में लाई जाती है। प्रतिवादी नं० १३ की तामिल अशुद्ध है। तदनुसार तामिल दिनांक १६/१०/१५ से पेश हो।

१६/१० पाटी वकील उप। प्रतिवादी नं० १३ का समान तलवाप पेश कर दि० २५/१५ को पेश हो।

२५/१५ न्यायालय उपरिथत पीठासन अधिकारी...  
दि० २२-१२-१५ को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा


दिनांक	फर्द अहकाम
22.12.15	वादी वकील को प्रतिवादी नं. 13 का रजि. A-3 तलवा आपसक रूपसे पेश करने की हिदायत की गयी दिनांक 29.1.16 को पेश है।
29.1.16	वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 13 का रजि. A-3 तलवा पेश करने हिदायत की। वस्ते तलवी दि. 29.2.16 को पेश है।
29.2.16	वादी वकील उप। गतादेशिका की पालना में दिनांक 30.3.16 को पेश है।
30.3.16	वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 13 का रजि. A-3 तलवा पेश करने दिनांक 31.3.16 को पेश है।
31.3.16	वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 13 का उल्लेख रजि. अ. 3 अ. 3 दिनांक तलवी जारी करे। वस्ते तलवी दिनांक 3.5.16 को पेश है।
3.5.16	वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 13 के उल्लेख की अधि रखीद शाख नही हुई है. वस्तुतः रखीद दिनांक 8.7.16 को पेश है।

डाभीर न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम
गवना दिनांक	<p>20.7.16 जनरल प्रेसी से पेश हुई। वादी वकील उप.। प्रतिवादी नं. 13 के समान गिजवने की पोस्ट ड्राफ्ट पेश हो चुकी थी प्रतिवादी नं. 13 के विल्ट इव पक्षीय कार्रवाही की जाती थी वस्ति साक्ष्यवादी दिनांक 31.8.16 को पेश हो।</p>
ना दि। 3/16	<p>31.8.16 वादी वकील उप.। वस्ति साक्ष्यवादी दि. 6.10.16 को पेश हो।</p>
बक	<p>6.10.16 वादी वकील उप.। गतानुसार वस्ति साक्ष्यवादी दिनांक 16.11.16 को पेश हो।</p>
गवना दि।	<p>16/11 वादी वकील उप.। वस्ति वादी पेश करने समय याद। साइडिंग दिनांक 8.12.16 को पेश हो।</p>
दि	<p>8/12.16 वादी वकील उप.। वादी का शपथ पत्र पेश दिनांक शास्त्रीय रेल प्रदर्शित करने दिनांक 18.1.17 को पेश हो।</p>
5	<p>18/17 वकूलय उपस्थित पीएसन अधिकारी कर्षी श्री. अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22-2-17 को पेश हो।</p>
	<p>20.2.17 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 22.3.17 को पेश हो।</p>

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाक्ष

दिनांक	फर्द अहकाम
२२.३.१७	वादी वकील उप. / गतानुसर्ण प्रदर्श डलवाने वादीको उपस्थित काने दिनांक २५.५.१७ को पेश हो।
२५.५.१७	वादी वकील उप. / प्रदर्श डलवाने व सुनवाई न्याय आफ्के इए कैम्प शिक्ति पहाडी में दिनांक २९.५.१७ को पेश हो।
२९.५.१७	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आफ्के इए कैम्प पहाडी में पेश हुई। यह प्रकरण गुम पहाडी के खे. नं. २७८१ रकबा ०.१० है। किस्म जेठु. चाह के तफासना काने तथा सहस्वतोदार / हिस्सेदार को स्फाशी निवेदाज्ञा से पाबन्द काने के लिए प्रस्तुत किया है। किस्म जेठु. चाह का तफासना किया जाता किती भी प्रकार संभव नहीं है। यदि इस जेठु. चाह के हिस्सेदारों को स्फाशी निवेदाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित पाता है। तथा इस प्रकरण को भागे यत्नोये रखना उचित नहीं है। इसलिए यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रा डिक्री जारी हो। पत्रावली कंसल शुमार होकर नाम से कम होकर दाखिल दफता हो। निर्णय आज दिनांक २९.५.१७ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय शिक्ति पहाडी में सुनाया गया।

  
 (जगदीश आर्य)  
 उप जिला कलक्टर  
 टोडाक्ष (करीली)